रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 444] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 1986/भाद्र 28, 1908
No. 444] NEW DELHI, FRIDAY, SEPT. 19, 1986/BHADRA 28, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

सं. 429/86-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 1103(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय,

राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 68/80-सीमाशुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,

क्रम सं. 1 के सामने स्तंभ 2 में, "[illegible]" अंकों और शब्द के स्थान पर "39, 54 या 56" [illegible]

[फा. सं. 528/218/86-सीमाशुल्क (टी. यू.)/आई सी [illegible]]
एम. माइकल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 19th September, 1986

NOTIFICATION

No. 429|86-CUSTOMS

G.S.R. 1103 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 68|80-Customs, dated the 1st April, 1980, namely :—

In the Table to the said notification, against Sl. No. 1, in column (2), for the figures and word "59 or 54" the figures and word "59,54 or 56" shall be substituted.

[F. No. 528|218|86-Cus (TU) |ICB]
M. MICHAEL, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986